उ0प्र0 राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

न्यायालय सं0–4

उपस्थित– माननीय श्री विनोद कुमार–III, उपाध्यक्ष (न्यायिक)

निर्देश याचिका सं0–2525/2023

कुलदीप सिंह, निरीक्षक (पीएनओ नं0–012530162), आयु लगभग 49 वर्ष, पुत्र श्री किशन सिंह तोमर, निवासी ग्राम बरल, पुलिस स्टेशन गुलावती, जनपद बुलन्दशहर, वर्तमान तैनाती प्रभारी निरीक्षक, आईजीआरएस सेल पुलिस आफिस, जनपद शामली, उ0प्र0।

...याची

बनाम

1. उ0प्र0 राज्य द्वारा प्रमुख सचिव (गृह), उ0प्र0 शासन, सिविल सचिवालय, लखनऊ।
2. पुलिस उप महानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, उ0प्र0।
3. पुलिस अधीक्षक, जनपद शामली, उ0प्र0।
4. क्षेत्राधिकारी, कैराना, जनपद शामली।

...विपक्षीगण

याची की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण श्री धीरज चौरसिया, केशव राम चौरसिया एवं आर0बी0 चौरसिया।
विपक्षीगण की ओर से उपस्थित विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

निर्णय

(मा0 श्री विनोद कुमार–III, उपाध्यक्ष (न्यायिक) द्वारा श्रुतलेखित)

1. यह निर्देश याचिका याची कुलदीप सिंह, निरीक्षक (पीएनओ नं0–012530162) के द्वारा उ0प्र0 राज्य लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम 1976 की धारा–4 के अन्तर्गत निम्नांकित अनुतोष हेतु योजित की गयी हैः–

(I) To issue a suitable order or direction to the opposite parties quashing the impugned orders dated 22-04-2023 (punishment order) passed by Opposite Party No.3 and Appellate order dated 18-10-2023 passed by Opposite Party No.2 are contained as Annexure Nos. 1 & 2 to this claim petition with all consequential benefits;

(II) To issue any other order or direction, which this Hon'ble Tribunal deems fit and proper in the circumstances of the case;

(III) To allow the claim petition with heavy costs in favor of the petitioner.

क्रमशः...2/–

2. प्रस्तुत मामले में याचिका के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जब याची वर्ष 2022 में थाना थानाभवन, जनपद शामली पर बतौर प्रभारी निरीक्षक नियुक्त थें, तब थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0–177/2022 अन्तर्गत धारा–406/420/467/468/471/506 भादवि बनाम 1–प्रशान्त गुप्ता उर्फ पवन पुत्र सुधीर गुप्ता, 2–सोनू मरवाह पुत्र प्रीत मरवाह निवासीगण मोहल्ला जवाहर पार्क, जनपद सहारनपुर पंजीकृत हुआ, जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री ओमबीर सिंह द्वारा ग्रहण कर आरम्भ की गई। उ0नि0 ओमबीर सिंह थाना थानाभवन से दिनांक 04.07.2022 को रो0आ0 के रपट सं0–44 समय 14:04 बजे पर उ0नि0 श्री कंवरपाल सिंह व है0कां0 भूपेन्द्र सिंह को साथ लेकर प्राइवेट वाहन से बिना उच्चाधिकारियों को संज्ञानित किये एवं बिना अनुमति प्राप्त किये अभियोग में नामित अभियुक्त सोनू मरवाह के घर जनपद सहारनपुर जाकर दबिश दिये। दबिश के दौरान अभियुक्त प्रशान्त गुप्ता भी सोनू मरवाह के घर मौजूद मिले, जिन्हें गिरफ्तार कर दिनांक 04.07.2022 को ही थाना थानाभवन लाया गया। उपरोक्त अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर थाने लाने के संबंध में न तो थाने के रो0आ0 में तस्करा अंकित किया गया और नही अभियुक्तगण को मर्दाना हवालात में बन्द किया गया, जिस कारण थाने पर अंधेरे का लाभ उठते हुए अभियुक्त प्रशान्त गुप्ता थाने से फरार हो गया तथा दूसरा अभियुक्त सोनू मरवाह के विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही न करते हुए थाने से छोड़ दिया गया। उक्त याची का थाना थानाभवन पर बतौर प्रभारी निरीक्षक दायित्व था कि वह श्री ओमबीर सिंह के जनपद सहारनपुर दबिश हेतु रवाना होने के संबंध में तत्काल अपने उच्चाधिकारियों को अवगत कराते तथा गिरफ्तार कर थाने पर लाये गये अभियुक्तगण का तस्करा रो0आ0 में अंकित करते हुये मर्दाना हवालात में दाखिल करते, परंतु याची द्वारा ऐसा नहीं किया गया, बल्कि इसके विपरीत प्रशान्त गुप्ता के थाने से फरार हो जाने के उपरांत दूसरे अभियुक्त सोनू मरवाह के विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही न करते हुये थाने से छोड़ दिया गया। याची द्वारा ऐसा नहीं करना चाहिये था। याची इस प्रकरण से पूर्णतः भिज्ञ थे, परंतु याची द्वारा इस संबंध में कोई सूचना अपने उच्चाधिकारियों को नहीं दी गयी।

तदोपरांत पुलिस अधीक्षक, जनपद शामली के पत्रांक ज–54/2022, दिनांक 10.07.2022 के द्वारा इस मामले की

क्रमशः...3/–

प्रारम्भिक जांच श्री अमरदीप कुमार मौर्य, क्षेत्राधिकारी कैराना, जनपद शामली के सुपुर्द की गयी। उक्त प्रारम्भिक जांच अधिकारी द्वारा जांच के दौरान याची/निरीक्षक कुलदीप सिंह, विवेचक/उ0नि0 ओमबीर, आरक्षी क्लर्क 116 मोहेन्द्र कुमार, उ0नि0 नरेन्द्र कुमार वर्मा, आरक्षी संजय कुमार, हो0गा0 2261 अरविन्द कुमार एवं हो0गा0 2284 गांगेराम के बयान अंकित तथा सुसंगत अभिलेखों का परिशीलन किया गया तथा उक्त प्रारम्भिक जांच अधिकारी ने अपनी जांच आख्या में निम्नांकित निष्कर्ष निकालाः–

"सम्यक् तथ्यों एवं संबंधित द्वारा अंकित कराये गये कथनों व थाना थानाभवन के अभिलेखों के अवलोकन एवं गोपनीय रूप से की गयी प्रारम्भिक जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त अभियोग के विवेचक उ0नि0 श्री ओमबीर सिंह द्वारा अभियोग के नामित अभि0गण सोनू मरवाह व प्रशान्त गुप्ता की गिरफ्तारी हेतु जनपद सहारनपुर के लिये बिना उच्चाधिकारीगणों के संज्ञान में लाये व बिना अनुमति के दिनांक 04.07.2022 को थानाहाजा के रो0आम के रपट संख्या 44 समय 14:04 बजे पर रवाना हुये थे। जिसके उपरांत दिनांक 05.07.2022 को थानहाजा के रो0आम के रपट संख्या 30 समय 14:07 बजे पर उक्त अभियोग के विवेचक उ0नि0 श्री ओमबीर सिंह द्वारा जनपद सहारनपुर से उक्त अभियोग में वाद वापसी वांछित अभियुक्तगणों के संबंध में मस्कन पर दबिश देना, परंतु अभियुक्त दस्तयाव नहीं होना इन्द्राज किया गया है, परंतु उ0नि0 श्री ओमबीर सिंह द्वारा अपने कथनों में दिनांक 04.07.2022 को अभियोग के दोनों नामित अभियुक्तगण सोनू मरवाह व प्रशान्त गुप्ता को जनपद सहारनपुर से गिरफ्तार कर लाना अंकित कराया है, परंतु उ0नि0 श्री ओमबीर सिंह द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तगणों को थानाहाजा के रो0आम में दाखिला कर मर्दाना हवालात में निरूद्ध नहीं किया गया, जबकि उक्त कार्यवाही किये जाने के संबंध में विवेचक को पूर्ण अधिकार था, फिर भी विवेचक द्वारा उक्त कार्यवाही नियमानुसार अमल में नहीं लायी गयी एवं उक्त तथ्यों को छिपाने के उददे्श्य से दिनांक 04.07.2022 को उक्त अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही में किता की गयी अभियोग दैनिकी पंचम में "उक्त अभियोग के नामित अभियोग की गिरफ्तारी तहरीर अंतर्गत धारा–55 सीआरपीसी को थाना मण्डी जनपद सहारनपुर में दाखिल किया जाना अंकित किया गया है।"

क्रमशः...4/–

जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त अभियोग के विवेचक उ0नि0 श्री ओमबीर सिंह द्वारा अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही में तथ्यों को छिपाया गया। जिस कारण उक्त अभियोग के विवेचक उ0नि0 श्री ओमबीर सिंह द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरती गयी है। जिसके संबंध में उक्त अभियोग के विवेचक उ0नि0 श्री ओमबीर सिंह पी0एन0ओ0 नं0–810900792 को दोषी पाता हूं।

उ0नि0 श्री ओमबीर सिंह द्वारा बरती गयी घोर लापरवाही का लाभ तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री कुलदीप सिंह द्वारा लेते हुये अभियोग के नामित अभि0 सोनू मरवाह के विरूद्ध कोई कार्यवाही किये बिना थानाहाजा से छोड़ दिया गया एवं दूसरा अभियुक्त प्रशान्त गुप्ता द्वारा अंधेरे का लाभ लेते हुये थाना थानाभवन के परिसर से फरार हो गया। जिसके संबंध में प्रभारी निरीक्षक द्वारा उक्त अभियुक्तगणों के विरूद्ध कोई कार्यवाही अमल में नहीं लायी गयी और न ही थानाहाजा के रो0आम में कोई तस्करा अंकित किया गया। जिस कारण तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री कुलदीप सिंह पी0एन0ओ0 नं0–012530162 के उक्त कृत्य के संबंध में दोषी पाता हूं।" उक्त प्रारम्भिक जांच आख्या की प्रति इस पत्रावली पर अनुलग्नक–4 के रूप में संलग्न है।

उक्त जांच आख्या को दृष्टिगत रखते हुए व उसके परिशीलन के पश्चात् पुलिस अधीक्षक, जनपद शामली के द्वारा याची को कारण बताओ नोटिस दिनांकित 23.11.2022 (अनुलग्नक–5) निर्गत की गयी, जिसका मुख्य अंश निम्नवत् हैः–

"उ0नि0 ओमबीर सिंह थाना थानाभवन से दिनांक 04.07.2022 को रो0आ0 के रपट सं0–44 समय 14:04 बजे पर उ0नि0 श्री कंवरपाल सिंह व है0कां0 भूपेन्द्र सिंह को साथ लेकर प्राइवेट वाहन से रवाना हुये तथा बिना उच्चाधिकारियों को संज्ञानित किये एवं बिना अनुमति प्राप्त किये अभियोग में नामित अभियुक्त सोनू मरवाह के घर जनपद सहारनपुर जाकर दबिश दी गई। दबिश के दौरान अभियुक्त प्रशान्त गुप्ता भी सोनू मरवाह के घर मौजूद मिले, जिन्हें गिरफ्तार कर दिनांक 04.07.2022 को ही थाना थानाभवन लाया गया। उपरोक्त अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर थाने लाने के संबंध में न तो थाने के रो0आ0 में तस्करा अंकित किया गया और नही अभियुक्तगण को मर्दाना हवालात में बन्द किया गया, जिस कारण थाने पर अंधेरे का लाभ उठते हुए अभियुक्त प्रशान्त गुप्ता थाने से फरार हो गया। थाना थानाभवन पर बतौर

क्रमशः...5/–

प्रभारी निरीक्षक दायित्व था कि आप श्री ओमबीर सिंह के जनपद सहारनपुर दबिश हेतु रवाना होने के संबंध में तत्काल अपने उच्चाधिकारियों को अवगत कराते तथा गिरफ्तार कर थाने पर लाये गये अभियुक्तगण का तस्करा रो0आ0 में अंकित करते हुये मर्दाना हवालात में दाखिल करते, परंतु आअपके द्वारा ऐसा नहीं किया गया, बल्कि इसके विपरीत प्रशान्त गुप्ता के थाने से फरार हो जाने के उपरांत दूसरे अभियुक्त सोनू मरवाह के विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही न करते हुये थाने से छोड़ दिया गया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिये था। आप इस प्रकरण से पूर्णतः भिज्ञ थे, परंतु आपके द्वारा इस संबंध में कोई सूचना अपने उच्चाधिकारियों को नहीं दी।"

अतः आप इस कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों न आपको उक्त कृत्य के लिये उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम–14(2) के अंतर्गत उपरोक्त परिनिन्दा लेख प्रदान कर दिया जाये। प्रकरण में की गई प्रारम्भिक जांच एवं बयानों की प्रमाणित प्रति कारण बताओ नोटिस के साथ संलग्न है।

याची द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब/स्पष्टीकरण दिनांकित 09.01.2023 (अनुलग्नक–6) पुलिस अधीक्षक, जनपद शामली को प्रस्तुत किया गया, जिसमें उसने स्पष्टीकरण के कथन एवं उक्त स्पष्टीकरण के तथ्यात्मक एवं विधिक आधारों का विस्तृत उल्लेख किया है।

उक्त स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात श्री अभिषेक, विपक्षी सं0–3/पुलिस अधीक्षक, जनपद शामली द्वारा आलोच्य दण्डादेश दिनांकित 22.04.2023 (अनुलग्नक–1) पारित किया गया, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् हैः–

"अतः निरीक्षक ना0पु0 श्री कुलदीप सिंह (पीएनओ–012530162) उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम–14(2) के अंतर्गत निर्गत समसंख्यक कारण बताओ नोटिस दिनांकित 23.11.2022 में प्रस्तावित परिनिन्दा प्रविष्टि को इनकी चरित्र पंजिका में अंकित किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।"

प्रस्तुत मामले में विपक्षी सं0–3/पुलिस अधीक्षक, जनपद शामली द्वारा पारित उक्त आलोच्य दण्डादेश दिनांकित 22.04.2023 से विक्षुब्ध होकर याची द्वारा विपक्षी सं0–2/पुलिस उप महानिरीक्षक,

क्रमशः...6/–

सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर उ0प्र0 के यहां अपील योजित की गयी। श्री अजय कुमार साहनी, पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर के द्वारा उक्त अपील में पारित आदेश दिनांकित 18.10.2023 के द्वारा उक्त अपील को अस्वीकृत किया गया। उक्त अपीलीय आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् हैः–

"उपरोक्त समस्त सन्निरीक्षा के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि पुलिस अधीक्षक, शामली द्वारा पारित दण्डादेश संख्याः द–59/2022 दिनांकित 22.04.2023 विधिवत है। इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यह अपील बलहीन एवं आधारहीन होने के कारण अस्वीकार किये जाने योग्य है। एतद्द्वारा यह अपील अस्वीकार की जाती है। उक्त आदेश की 01 प्रति अपीलार्थी निरीक्षक ना0पु0 कुलदीप सिंह को पुलिस अधीक्षक, शामली द्वारा नियमानुसार उपलब्ध कराई जायेगी।"

उक्त आलोच्य दण्डादेश एवं अपीलीय आदेश से विक्षुब्ध होकर याची द्वारा इस अधिकरण में यह निर्देश याचिका उपरोक्त वर्णित अनुतोष हेतु योजित की गयी है।

3. प्रस्तुत मामले में विपक्षीगण की तरफ से लिखित कथन दिनांकित 19.01.2024 तथा उसके साथ श्री अभिषेक, पुलिस अधीक्षक, जनपद शामली का शपथ पत्र दिनांकित 18.01.2024 योजित किया गया है। उक्त लिखित कथन में विपक्षीगण द्वारा निर्देश याचिका के प्रस्तर–2 एवं 3 के कथन पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं बतायी गयी है तथा निर्देश याचिका के प्रस्तर–4(VIII), IX (A to E) and, X to XIV) के कथन जिस प्रकार वर्णित हैं, उसे स्वीकार नहीं किया गया है तथा उक्त लिखित कथन में मुख्य रूप से यह अभिलिखित है कि निर्देश याचिका के प्रस्तर–1 का कथन कि दण्डादेश दिनांकित 22.04.2023 (जिसके द्वारा याची को परिनिन्दा लेख के दण्ड से दण्डित किया गया है), अपीलीय आदेश दिनांकित 18.10.2023 पारित किये जाने की सीमा तक विवादित नहीं है, पंरतु शेष कथन जिस प्रकार से वर्णित हैं, स्वीकार नहीं है। इस मामले में प्रारम्भिक जांच दिनांक 10.07.2022 को क्षेत्राधिकारी कैराना, जनपद शामली को आवंटित की गयी, क्षेत्राधिकारी कैराना, जनपद शामली द्वारा प्रकरण में प्रारम्भिक जांच करके जांच आख्या प्रस्तुत की गयी। याची का कृत्य अपने कर्तव्यपालन के प्रति घोर लापरवाही, अकर्मण्यता एवं स्वेच्छाचारिता

क्रमशः...7/–

का द्योतक होने के दृष्टिगत प्रस्तुत प्रकरण में की गयी जांच में दोषी पाये जाने के फलस्वरूप इन्हें उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम–14(2) के अंतर्गत परिनिन्दा लेख से दण्डित किये जाने हेतु समसंख्यक कारण बताओ नोटिस दिनांकित 23.11.2022 निर्गत करके 15 दिवस के अंदर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। याची द्वारा कारण बताओ नोटिस का स्पष्टीकरण दिनांक 10.01.2023 को प्रस्तुत किया गया। याची द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में अंकित बिन्दुओं एवं तथ्यों पर सहानुभूतिपूर्वक विचारोपरांत यह पाया गया कि याची द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण बलहीन एवं सारहीन है, तद्नुसार सकारण दण्डादेश दिनांकित 22.04.2023 पारित कर याची को परिनिन्दा प्रविष्टि के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त आलोच्य दण्डादेश के विरूद्ध याची द्वारा पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर विचारोपरांत आलोच्य दण्डादेश दिनांकित 22.04.2023 में कोई हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य न पाते हुए अस्वीकार/निरस्त कर दी गयी। याची के संबंध में पारित आलोच्य दण्डादेश दिनांकित 22.04.2023 एवं आलोच्य अपीलीय आदेश दिनांक 18.10.2023 पूर्णतया विधिक एवं नियमानुसार हैं तथा इन्हें पारित किये जाने में कोई विधिक या प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है।याची द्वारा निराधार तथ्यों के आधार पर याचिका योजित की गयी है, जो सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है।

4. प्रस्तुत मामले में याची द्वारा लिखित कथन के विरूद्ध अपना प्रत्युत्तर शपथ पत्र दिनांकित 13.02.2024 प्रस्तुत किया गया, जिसमें मुख्य रूप से निर्देश याचिका के उन्हीं कथनों को जिन्हें विपक्षीगण द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, को पुनः दोहराया गया है तथा प्रस्तुत निर्देश याचिका को स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

5. याची द्वारा अपनी निर्देश याचिका के साथ याचिका के कथनों के समर्थन में अभिलेख के रूप में आलोच्य दण्डादेश दिनांकित 22.04.2023 की छायाप्रति (अनुलग्नक–1), आलोच्य अपीलीय आदेश दिनांकित 18.10.2023 की छायाप्रति (अनुलग्नक–2), कम्पाइलेशन–2 के साथ थाना थानाभवन, जनपद शामली में

पंजीकृत मु0सं0–0177/2022 में विवेचक द्वारा प्रस्तुत चार्ज शीट की छायाप्रति (अनुलग्नक–3), क्षेत्राधिकारी कैराना, जनपद शामली द्वारा पुलिस अधीक्षक, जनपद शामली को प्रेषित प्रारम्भिक जांच आख्या दिनांकित 17.11.2022 की छायाप्रति (अनुलग्नक–4), पुलिस अधीक्षक, जनपद शामली द्वारा याची/कुलदीप सिंह को निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांकित 23.11.2022 की छायाप्रति (अनुलग्नक–5), याची/कुलदीप सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक, जनपद शामली को प्रेषित कारण बताओ नोटिस का जवाब/स्पष्टीकरण दिनांकित 09.01.2023 की छायाप्रति (अनुलग्नक–6), पुलिस उप महानिरीक्षक, सहारनपुर के समक्ष योजित मेमो आफ अपील दिनांकित 10.08.2023 की छायाप्रति (अनुलग्नक–7), थाना थानाभवन के जी0डी0 की रपट सं0–044 दिनांकित 04.07.2022 समय 14:04 बजे तथा जी0डी0 नं0–30 दिनांकित 05.07.2022 समय 14:07 बजे की छायाप्रति (अनुलग्नक–8) एवं उक्त थाने की जी0डी0 के रपट नं0–052 दिनांकित 13.09.2022 समय 22:28 बजे की छायाप्रति (अनुलग्नक–9) प्रस्तुत किया गया है।

6. प्रस्तुत मामले में याची की तरफ से लिखित बहस के साथ इस अधिकरण के अवलोकनार्थ निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैंः–

(i) Nand Kishore Prasad Vs. State of Bihar and Ors., AIR 1778 P0-1277

(ii) Union of India & ors. Vs. J. Ahmed, AIR 1979 P-1022

7. प्रस्तुत मामले में मेरे द्वारा याची के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षीगण की ओर से उपस्थित विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की बहस को विस्तारपूर्वक सुना गया तथा प्रस्तुत निर्देश याचिका की संपूर्ण पत्रावली एवं उसमें संलग्न समस्त अभिलेखों एवं उक्त वर्णित न्याय दृष्टांत का भली–भांति परिशीलन किया गया।

8. प्रस्तुत मामले में उभय पक्ष के अभिकथनों तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखों के परिशीलन से यह तथ्य पूर्णतया सुस्पष्ट है कि थाना थानाभवन, जनपद शामली में वर्ष 2022 में मु0अ0सं0–177/2022 अन्तर्गत धारा–406/420/467/468 /471/506 प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुआ था, जिसमें वादी

कमल अग्रवाल तथा अभियुक्त प्रशान्त गुप्ता उर्फ पवन गुप्ता तथा सोनू मरवाह अभियुक्त थे। यह भी तथ्य निर्विवाद है कि उक्त अभियोग की विवेचना उक्त थाना के तत्कालीन उपनिरीक्षक श्री ओमबीर सिंह के सुपुर्द की गयी तथा उक्त विवेचना उनके द्वारा संपादित की गयी। यह तथ्य भी निर्विवाद है कि याची/निरीक्षक कुलदीप सिंह वर्ष 2022 में दिनांक 04.07.2022 को थाना थानाभवन, जनपद शामली में बतौर प्रभारी निरीक्षक नियुक्त थे। यह तथ्य भी निर्विवाद है कि दिनांक 04.07.2022 को उक्त थाने के जी0डी0 के रपट सं0–44 समय 14:04 बजे उक्त विवेचक उप निरीक्षक ओमबीर सिंह मय उप निरीक्षक कुंवरपाल सिंह एवं हे0कां0 भूपेन्द्र सिंह के साथ वास्ते तलाश व दबिश वांछित अभियुक्तगण संबंधित मु0अ0सं0–177/2022 अन्तर्गत धारा–406/420/467 /468/471/506 भादवि सहारनपुर रवाना हुए, जैसा कि थाना थानाभवन की जी0डी0 के रपट सं0–44 दिनांकित 04.07.2022 समय 14:04 बजे के परिशीलन से निर्विवाद रूप से स्पष्ट है। उक्त थाने के जी0डी0 के रपट नं0–30 दिनांकित 05.07.2022 समय 14:07 बजे के परिशीलन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त ओमबीर सिंह थाना थानाभवन पर उक्त मुकदमें के अभियुक्तगण के मस्कन दबिश के पश्चात उनके दस्तयाव न होने पर बाद दबिश थाना थानाभवन वापस आये तथा उनके साथ उक्त उपनिरीक्षक कुंवर पाल सिंह व हे0 कां0 भूपेन्द्र सिंह भी उपस्थित आये। थाना थानाभवन, जनपद शामली के जी0डी0 सं0–52 दिनांक 13.09.2022 समय 22:28 बजे के परिशीलन से यह तथ्य भी पूर्णतया स्पष्ट है कि थाना थानाभवन में पंजीकृत मु0अ0सं0–177/2022 धारा–406/420/467/468/471/506 भादवि के विवेचक उप निरीक्षक ओमबीर सिंह मय हमराही कां0 आशीष कुमार, कां0 उदित मलिक, कां0 अमरपाल सिंह उक्त अभियोग के गिरफ्तारशुदा एक नफर अभियुक्त प्रशान्त गुप्ता उर्फ पवन के साथ थाना थानाभवन वापस आये तथा उसे थाना थानाभवन में दाखिल किया। यह भी निर्विवाद है कि प्रारम्भिक जांच अधिकारी श्री अमरदीप कुमार मौर्य, क्षेत्राधिकारी कैराना, जनपद शामली द्वारा इस मामले में की प्रारम्भिक जांच के दौरान प्रकरण के विवेचक/उप निरीक्षक ओम वीर सिंह के दि0 04.07.2022 के उक्त हमराहीउ0नि0कुंवर पाल सिंह एवं हे0कां0 भूपेन्द्र सिंह के बयान अंकित नहीं किये गये। यह तथ्य भी निर्विवादित है कि उक्त प्रारम्भिक जांच के दौरान उक्त मामले के

पर्यवेक्षण अधिकारी संबंधित क्षेत्राधिकारी का भी बयान अंकित नहीं किया गया है। यह तथ्य भी निर्विवादित है कि थाना थानाभवन, जनपद शामली में लगाये गये सी0सी0टी0वी0 कैमरे की दिनांक 04.07.2022 एवं दिनांक 05.07.2022 की फुटेज का जांच अधिकारी द्वारा न तो अवलोकन किया गया एवं न ही उक्त फुटेज का सी0डी0 उक्त जांच आख्या के साथ संलग्न किया गया।

9. प्रस्तुत मामले में उक्त कारण बताओ नोटिस को दृष्टिगत रखते हुए याची के विरूद्ध मुख्यतया निम्नलिखित दो आरोप हैंः–

1– प्रथम यह कि याची द्वारा थाना थानाभवन में जी0डी0 में तस्करा अंकित करते हुए उक्त कथित दो गिरफ्तार अभियुक्तगण को मर्दाना हवालात में दाखिल करना चाहिए था, जो बतौर प्रभारी निरीक्षक/याची द्वारा नहीं किया गया।

2– द्वितीय यह कि कथित गिरफ्तार अभियुक्त सोनू मरवाह के विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही न करते हुए याची द्वारा उसे थाने से छोड़ दिया गया।

10. प्रस्तुत मामले में यह उल्लेखनीय है कि याची/कुलदीप सिंह के विरूद्ध वर्णित उक्त आरोप के संबंध में उसे जारी कारण बताओ नोटिस के पूर्व क्षेत्राधिकारी, कैराना श्री अमरदीप कुमार मौर्य द्वारा प्रारम्भिक जांच की गयी। उक्त प्रारम्भिक जांच में **आरक्षी क्लर्क मोहेन्द्र कुमार** ने यह स्पष्ट रूप से अभिकथन किया है कि "दिनांक 04.07.2022 को मैं थाना हाजा पर दफ्तर कार्यालय पर रो0आम के कार्यलेख पर तैनात था। मेरी ड्यिूटी के दौरान उ0नि0 श्री ओमबीर सिंह मु0अ0सं0–177/2022 धारा–406/420/467/468/471/506 भादवि से संबंधित मुल्जिमान की गिरफ्तारी हेतु रवाना हुए थे और फिर मेरी ड्यिूटी पूरी होने पर मैं अपने बैरक चला गया था।" इस साक्षी के अपने बयान के दौरान किये गये प्रश्न पर उत्तर में यह भी कहा कि "मेरी ड्यिूटी के दौरान दरोगा जी मुल्जिम को पकड़ने के लिए सहारनपुर रवाना हुए थे, मेरी ड्यिूटी की समाप्ति तक वापस नहीं आये थे, जिसके संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं थी।" **उ0नि0 नरेन्द्र कुमार वर्मा,** जो दिनांक 04.07.2022 को थाना थानाभवन पर दिवसाधिकारी के रूप में नियुक्त/कार्यरत थे, ने उक्त प्रारम्भिक जांच के दौरान अपने बयान में यह अभिकथन किया कि "दिनांक 04.07.2022 को उ0नि0 श्री

ओमबीर सिंह मु0अ0सं0–177/2022 धारा–406/420/467/ 468/471/506 भादवि से संबंधित मुल्जिमान की गिरफ्तारी हेतु जनपद सहारनपुर रवाना हुए थे। थाना हाजा पर उ0नि श्री ओमवीर सिंह द्वारा मेरे सामने किसी भी अभियुक्त को पकड़ कर नहीं लाया गया था और न ही इस संबंध में मुझे कोई जानकारी है।" उक्त प्रारम्भिकजांच के दौरान **आरक्षी संजय कुमार** कार्यालय क्षेत्राधिकारी नगर, जनपद शामली ने यह बयान दिया कि "दिनांक 04.07. 2022 को मेरी ड्यिूटी दफ्तर कार्यालय में रात्रि समय 20:00 बजे से दिनांक 05.07.2022 की सुबह समय 08:00 बजे तक ड्यिूटी थी। मेरी ड्यिूटी के दौरान उ0नि0 श्री ओमवीर सिंह किसी भी अभियुक्त को पकड़ कर नहीं लाये थे, परंतु उ0नि0 श्री ओमवीर सिंह पूर्व से थाना हाजा के रो0आम में मु0अ0सं0–177/2022 धारा–406/420/467/ 468/471/506 भादवि से संबंधित मुल्जिमान की गिरफ्तारी हेतु जनपद सहारनपुर रवाना हुए थे, जो मेरी ड्यिूटी की समाप्ति तक वापस नहीं आये थे।" उक्त प्रारम्भिक जांच के दौरान **हो0गा0 अरविन्द कुमार**, थाना थानाभवन, जनपद शामली ने अपने बयान में यह अभिकथन किया कि "मैं थाना थानाभवन, जनपद शामली पर माह नवम्बर वर्ष 2022 की ड्यिूटी पर दिनांक 01.11.2022 से ड्यिूटीरत हूँ। इससे पूर्व माह जुलाई वर्ष 2022 में भी ड्यिूटी पर था। दिनांक 04.07.2022 को थाना हाजा पर समय 18:00 बजे शाम से रात्रि 21:00 बजे तक सन्तरी पहरा पर नियुक्त था। मेरी ड्यिूटी के दौरान थाना हाजा पर उ0नि0 श्री ओमबीर सिंह द्वारा मेरी ड्यिूटी के दौरान किसी भी मुल्जिम को पकड़ कर नहीं लाया गया था।" उक्त प्रारम्भिक जांच में **हो0गा0 मांगेराम** ने अपने बयान में यह अभिकथन किया कि "दिनांक 04.07.2022 को थाना हाजा पर समय 21:00 बजे शाम से रात्रि 00:00 बजे तक सन्तरी पहरा पर नियुक्त था। मेरी ड्यिूटी के दौरान थाना हाजा पर उ0नि0 श्री ओमबीर सिंह द्वारा मेरी ड्यिूटी के दौरान किसी भी मुल्जिम को पकड़ कर नहीं लाया गया था।" यद्यपि उक्त **ओमबीर सिंह** उपनिरीक्षक/विवेचक द्वारा प्रारम्भिक जांच के दौरान अपने बयान में यह कहा गया कि "दिनांक 04.07. 2022 को मैं उपनि0 व उ0नि0 श्री कुंवरपाल सिंह व है0कां0 भूपेन्द्र सिंह को प्राइवेट गाड़ी कर साथ में लेकर सहारनपुर सोनू मरवाह के घर पर दबिश दी गयी। दबिश के दौरान अभियुक्त प्रशान्त गुप्ता व सोनू मरवाह घर पर ही मौजूद मिले जिनको

गिरफ्तार कर थाना थानाभवन पर लाया गया। इस संबंध में थाना प्रभारी महोदय श्री कुलदीप सिंह को बताया गया तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं न कहूं तो मुल्जिमों का दाखिला चालान नहीं करना।" एक क्षण के लिए तर्क के सुविधा के दृष्टिकोण से यदि उक्त उपनिरीक्षक ओमबीर सिंह के बयान को सत्य माना जाये तो यहां यह प्रश्न उठता है कि यदि उक्त उप निरीक्षक ओमबीर सिंह मामले के विवेचक उक्त अभियुक्तगण को गिरफ्तार करके थाना थानाभवन पर लाये थे, तो उन्होंने उक्त अभियुक्तगण को थाना के हवालात में दाखिल करके उसका इन्द्राज थाने के जी0डी0 में क्यों नहीं कराया, जबकि उनका यह विधिक दायित्व था कि वे उक्त मुल्जिमान को थाना थानाभवन की जी0डी0 में उनकी गिरफ्तारी एवं थाने में दाखिला का इन्द्राज करते और उन्हें नियमानुसार थाना थाना भवन के मर्दाना हवालात में निरूद्ध करते। जबकि इसके विपरीत थाना थानाभवन के दिनांक 05.07.2022 के जी0डी0 के रपट सं0–30 समय 14:07 बजे (अनुलग्नक–8, पृष्ठ–77) के परिशीलन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि उक्त जी0डी0 में यह अंकित है कि "इस समय उपनिरीक्षक ओमबीर सिंह रवाना शुदा रफ्ता रपट रो0आ0 तारीख दी रोजा से वाद तलाश व दबिश वांछित अभियुक्तगण संबंधित मु0अ0सं0–177/2022 धारा–406/420 /467/468/471/506 भादवि बनाम प्रशान्त गुप्ता उर्फ पवन नि0गण ग्राम मरवाह, जनपद सहारनपुर के मस्कन दबिश दी गयी, दस्तयाव नहीं हुये। मुखबिर मामूर किये गये वाद दबिश वापस आये हालात तफ्तीश जरिये सी0डी0 अर्ज हुए हमराह उ0नि0 श्री कुंवरपाल सिंह मय हे0कां0 244 भूपेन्द्र सिंह को वास्ते कार्य सरकार हेतु थाना थानाभवन पूर्व में रवाना किया गया था।" उक्त स्थिति एवं उक्त जी0डी0 का उक्त लेख उक्त उप निरीक्षक/विवेचक ओमबीर सिंह के दौराने प्रारम्भिक जांच उनके बयान की सत्यता एवं विश्वसनीयता पर एक गंभीर प्रश्नचिह्न लगा देता है। ऐसी स्थिति में दौराने प्रारम्भिक जांच उक्त उप निरीक्षक/विवेचक द्वारा दिये गये बयान को किसी भी स्थिति में सत्य, विश्वसनीय एवं प्रमाणिक नहीं माना जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त प्रारम्भिक जांच के दौरान उस प्रकरण के महत्वपूर्ण साक्षी उक्त विवेचक ओमबीर सिंह के हमराही उप निरीक्षक कुंवर पाल सिंह एवं हे0कां0 244 भूपेन्द्र सिंह थे, जिनका बयान उक्त प्रारम्भिक जांच अधिकारी/क्षेत्राधिकारी द्वारा प्रारम्भिक जांच के दौरान अंकित नहीं

किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त प्रश्नगत दिनांक 05.07.2022 के थाना थानाभवन के दिवसाधिकारी का भी बयान उक्त जांच अधिकारी द्वारा जांच के दौरान अंकित नहीं किया गया। यदि उक्त अभियुक्त कथित गिरफ्तार कर उक्त थाना पर लाये गये तथा बिना जी0डी0 में दाखिला किये ही थाने पर रखे गये या बैठाये गये, जैसाकि आरोप है तो निश्चित रूप से थाना थानाभवन के कार्यालय और परिसर में लगाये गये सी0सी0टी0वी0 कैमरा में उक्त कथित गिरफ्तार अभियुक्तगण की फोटो अवश्य होती, परंतु दौराने जांच प्रारम्भिक जांच अधिकारी द्वारा उक्त तिथियों की सी0सी0टी0वी0 कैमरा के फुटेज को भी नहीं देखा गया एवं न ही उसे उक्त प्रारम्भिक जांच का अंग ही बनाया गया। इसी प्रकार उक्त प्रारम्भिक जांच आख्या अभियोग के विवेचक द्वारा दिनांक 04.07.2022 को किता अभियोग की केस डायरी के पर्चा नं0–5 में यह अंकित किया गया कि अभियोग के वांछित अभियुक्त प्रशान्त गुप्ता उर्फ पवन व सोनू मरवाह की गिरफ्तारी हेतु थाना मण्डी, जनपद सहारनपुर को अंतर्गत धारा–55 सीआरपीसी की गिरफ्तारी तहरीर देना अंकित किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त प्रारम्भिक जांच के दौरान संबंधित प्रारम्भिक जांच अधिकारी द्वारा उक्त अभियोग के पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारी का भी बयान भी अंकित नहीं किया गया। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 13.09.2022 को अभियुक्त प्रशान्त गुप्ता की गिरफ्तारी थाना थानाभवन की जी0डी0 के रपट सं0–52 समय 22:28 बजे (अनुलग्नक–9) के अनुसार दर्शित है। विदित हो कि इस मामले की प्रारम्भिक जांच आख्या दिनांकित 17.11.2022 को तैयार की गयी, ऐसी स्थिति में उक्त अभियुक्त प्रशान्त गुप्ता भी इस प्रकरण का एक महत्वपूर्ण साक्षी हो सकता था, जिसका बयान उक्त प्रारम्भिक जांच अधिकारी द्वारा नहीं लिया गया। यदि एक क्षण के लिये तर्क की सुविधा के दृष्टिकोण से यह मान भी लिया जाये कि इस प्रकरण में किसी की लापरवाही या दोष है तो उक्त परिस्थितियों में प्रथमदृष्टया स्पष्ट है कि उक्त लापरवाही व दोष उक्त उप निरीक्षक/विवेचक ओमबीर सिंह का ही हो सकता था। उक्त परिस्थितियों में यह पूर्णतया स्पष्ट है कि प्रारम्भिक जांच अधिकारी द्वारा उक्त प्रारम्भिक जांच आख्या में याची/कुलदीप सिंह तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक के विरूद्ध जो भी निष्कर्ष निकाला गया पह निष्कर्ष साक्ष्यों से समर्थित नहीं है।

क्रमशः...14/–

11. जब उक्त प्रारम्भिक जांच एवं पुलिस प्रपत्र जी0डी0 एवं सी0डी0 में उक्त अभियुक्तगण को विधिनुसार गिरफ्तार कर थाना थानाभवन में प्रश्नगत दिनांक 04.07.2022 या 05.07.2022 को लाना ही साबित नहीं है, तो उसे याची/कुलदीप सिंह द्वारा मर्दाना हवालात में दाखिल करने का कोई विधिक औचित्य ही नहीं था। इसी प्रकार जब उक्त जी0डी0 पुलिस प्रपत्र एवं संदर्भित साक्षीगण के बयान के अनुसार सोनू मरवाह को गिरफ्तार कर थाना में लाना एवं थाना थानाभवन में प्रश्नगत दिनांक 04.07.2022 या दिनांक 05.07.2022 को दाखिल करना ही साबित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त सोनू मरवाह को थाने से याची द्वारा छोड़ दिये जाने का कोई कारण ही प्रदर्शित नहीं होता है। इस प्रकार उक्त जांच अधिकारी की उक्त जांच आख्या के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि प्रारम्भिक जांच अधिकारी द्वारा पर्याप्त, विश्वसनीय एवं ठोस साक्ष्य के अभाव में तथा मात्र संभावना के आधार पर, सम्भवतः पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर तथा नैसर्गिक न्याय के नियमों का उल्लंघन करते हुए उक्त प्रारम्भिक जांच आख्या प्रस्तुत करते हुए याची को उक्त आरोप के लिये दोषी ठहराया गया है।

12. यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त प्रारम्भिक जांच आख्या के आधार पर याची को विपक्षी सं0–3 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा याची द्वारा अपने बचाव में प्रस्तुत किये गये उक्त संदर्भित, वर्णित कथनों तथा अपेक्षित साक्ष्य को नजरअंदाज करते हुए उक्त वर्णित दण्डादेश पारित किया गया है।

13. न्याय दृष्टांत **हरद्वारी लाल बनाम उ0प्र0 राज्य, (2000 ए. एल.जे. पेज–1)** में माननीय न्यायालय द्वारा यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है किः–

> **“जहां जांच के मध्य महत्वपूर्ण साक्षी का कथन अंकित न किया जाये, वहां जांच आख्या प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने के कारण दोषपूर्ण है तथा ऐसी जांच आख्या के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है।”**

14. न्याय दृष्टांत **राधा रमन वर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य, 1976 यू0पी0केसेज 43** में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया है किः–

"विभागीय कार्यवाही में पर्याप्त व विश्वसनीय साक्ष्य का होना अति आवश्यक है। केवल सन्देह, अनुमान या आशंका के आधार पर अपचारी कर्मचारी को दण्डित नहीं किया जा सकता है।"

15. इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय ने **दलीप कुमार राय बनाम भारत संघ (सर्विस लॉ जनरल 1986 पृष्ठ 177)** में निम्नलिखित विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया हैः–

''Evidence; Where there is no evidence to bring to home the charge satisfactorily against the delinquent officer, the enquiry report and the final order passed by the disciplinary authority is bound to be quashed."

16. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **Union of India Vs. H.C. Goel, 1964 AIR (SC) Page 364** में उक्त संदर्भ में निम्नलिखित विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया हैः–

''The basic principle is that unless the articles of charges are proved, the delinquent employee remains innocent in the eye of law. The reason is that in punishing the guilty care should be taken to see that innocent are not punished. This principle of criminal jurisprudence applies as much to regular criminal trials as to disciplinary enquiries held under statutory rules."

17. इस प्रकार उक्त प्रतिपादित विधि सिद्धान्त के आलोक में प्रस्तुत मामले के तथ्य व परिस्थिति पर दृष्टिपात करने पर यह तथ्य पूर्णतया सुस्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में पर्याप्त विश्वसनीय एवं पुष्ट साक्ष्य के अभाव में मात्र संभावना के आधार पर एवं उक्त मामले के विवेचक उपनिरीक्षक ओम वीर सिंह के अविश्वसनीय कथनों को आधार बनाकर याची/कुलदीप सिंह के विरूद्ध उक्त वर्णित निष्कर्ष प्रारम्भिक जांच आख्या में निकाला गया तथा उसी जांच आख्या को आधार बनाकर तथा याची के स्पष्टीकरण के कथनों पर बिना विचार किये व उसे नजरअंदाज करते हुए Non-speaking and unreasoned order आलोच्य दण्डादेश द्वारा याची को दण्डित किया गया,

जोकि विधि की दृष्टि में किसी भी स्थिति में उचित नहीं है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत भी है।

18. न्याय दृष्टांत **नन्द किशोर बनाम बिहार राज्य, एआईआर 1978 पृष्ठ–1277** में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया हैः–

> **''Disciplinary proceedings before a domestic tribunal are of a quasi-judicial character. Therefore, the minimum requirement of the rules of natural justice is that the tribunal should arrive at its conclusion on the basis of some evidence, i.e. evidential material which with some degree of definiteness points to the guilt of the delinquent in respect of the charge against him. Suspicion cannot be allowed to take the place of proof even in domestic inquiries."**

19. मा० उच्चतम न्यायालय ने **उ0प्र0 राज्य बनाम सरोज कुमार सिन्हा, 2010(2) एससीसी 272** में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है किः–

"विभागीय कार्यवाही एक अर्द्ध न्यायिक कार्यवाही है, जिसमें जांच अधिकारी/पीठासीन अधिकारी विभाग का प्रतिनिधि नहीं होता है, बल्कि उसकी भूमिका एक स्वतन्त्र अभिनिर्णायक के रूप में होती है।"

20. इसी प्रकार प्रस्तुत मामले में उक्त विवेचन एवं उपलब्ध प्रलेखों के आधार पर यह भी स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में याची का कोई दुराशय भी प्रस्तुत मामले में साबित नहीं हुआ है।

21. न्याय दृष्टांत **यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य बनाम जमाल अहमद, 1979 एआईआर पृष्ठ–1022** में उक्त संदर्भ में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया हैः–

> **"Misconduct means, misconduct arising from ill motive; acts of negligence, errors of judgment, or innocent mistake, do not constitute such misconduct."**

"It is, however, difficult to believe that lack of efficiency or attainment of highest standards in discharge of duty attached to public office would ipso facto constitute misconduct. There may be negligence in performance of duty and a lapse in performance of duty or error of judgment in evalutating the developing situation may be negligence in discharge of duty, but would not constitute misconduct unless the consequences directly attributable to negligence would be such as to be irreparable or the resultant damage would be so heavy that the degree of culpability would be very high. An error can be indicative of negligence and the degree of culpability may indicate the grossness of the negligence. Carelessness can often be productive of more harm than deliberate wickedness or malevolence."

22. इस प्रकार उपरोक्त न्याय दृष्टांत के आलोक में प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के परिशीलन के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि याची कुलदीप के उक्त कथित कृत्य उसके कर्तव्य पालन के प्रति न तो घोर या किसी भी प्रकार की लापरवाही है एवं न ही उसके किसी अकर्मण्यता या कथित स्वेच्छाचारिता का परिचायक है। परिणामस्वरूप निष्कर्ष के रूप में यह स्पष्ट है कि याची/कुलदीप सिंह का उक्त कृत्य अपने कर्तव्य पालन में की गयी घोर लापरवाही, अकर्मण्यता एवं स्वेच्छाचारिता की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है तथा उक्त आलोच्य दण्डादेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध भी है तथा उक्त कारणों से स्थिर रहने योग्य नहीं है।

23. अतएव, उक्त वर्णित विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्षित है कि याची/कुलदीप सिंह के विरूद्ध पारित उक्त आलोच्य दण्डादेश दिनांकित 22.04.2023 (अनुलग्नक–1) एवं आलोच्य अपीलीय आदेश दिनांकित 18.10.2023 (अनुलग्नक–2) विधि की दृष्टि में स्थिर रहने योग्य नहीं है, बल्कि निरस्त किये जाने योग्य है। तद्नुसार याची/कुलदीप सिंह की निर्देश याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

24. याची/कुलदीप सिंह द्वारा योजित निर्देश याचिका सं0–2525/2023 स्वीकार की जाती है। याची/कुलदीप सिंह के विरुद्ध विपक्षी सं0–3 द्वारा पारित आलोच्य दण्डादेश दिनांकित 22.04.2023 (अनुलग्नक–1) एवं विपक्षी सं0–2 द्वारा पारित आलोच्य अपीलीय आदेश दिनांकित 18.10.2023 (अनुलग्नक–2) एतद्द्वारा अपास्त (Set-aside) किये जाते हैं। विपक्षीगण को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निरस्त आदेश के आधार पर इस निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से 03 माह के अन्तर्गत याची/कुलदीप सिंह के रोके गये समस्त पारिणामिक सेवा लाभ (All consequential service benefit) उसे प्रदान कराये जायें, जो उक्त आदेशों द्वारा रोके गये हों।

प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये यह भी आदेशित किया जाता है कि प्रस्तुत मामले में उभयपक्ष अपना–अपना वाद–व्यय स्वयं वहन करें।

ह0/–
(विनोद कुमार-III)
उपाध्यक्ष (न्यायिक)
राज्य लोक सेवा अधिकरण
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

दिनांकः–22 अप्रैल, 2025

निर्णय आज खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित, दिनॉकित एवॅ उद्घोषित किया गया ।

ह0/–
(विनोद कुमार-III)
उपाध्यक्ष (न्यायिक)
राज्य लोक सेवा अधिकरण
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

दिनांकः–22 अप्रैल, 2025

अर्चना पाल/नि0स0